

फर्द अहकाम

न्यायालय— अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01, नीमकाथाना, जिला— सीकर।

राज्य बनाम राजेश

सी.आई.एस. नम्बर 1429/2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए।
-------------	--	--

23.07.2026

अभियोजन अधिकारी उपस्थित। मुल्जिम राजेश अनुपस्थित। मुल्जिम राजेश ही हा.मा.दर. जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत हुयी जो बाद सुनवायी आज के लिए स्वीकार की जाती है। गवाहान संख्या 14,15,16 व 17 की जारीशुदा तामील बाद/अदम नहीं लौटी है। इस संबंध में संबंधित थानाधिकारी से स्पष्टिकरण तलब किया जावे। उक्त गवाहान का वारंट पूर्वआदेशानुसार पुनः दिनांक 03.08.2026 के लिए जारी हो। समस्त गवाहन जमानती वारंट 1000/- से तलब किये जावे। वारंट पर लाल स्याही से 'पत्रावली लक्षित प्रकरण एवं 10 वर्ष से अधिक पुराना प्रकरण' होने का नोट अंकित किया जावे।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन गवाह 19,20,21,22 दिनांक 27.07.2026 को पेश हो।

online श्री
27/7/26

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्र.स.१
नीमकाथाना सीकर (राज्य)

27/7/26 APD उपस्थित / अतिरिक्त
मुल्जिम राजेश ही हा.मा.दर. जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत हुयी जो बाद सुनवायी आज के लिए स्वीकार की जाती है। गवाहान संख्या 14,15,16 व 17 की जारीशुदा तामील बाद/अदम नहीं लौटी है। इस संबंध में संबंधित थानाधिकारी से स्पष्टिकरण तलब किया जावे। उक्त गवाहान का वारंट पूर्वआदेशानुसार पुनः दिनांक 03.08.2026 के लिए जारी हो। समस्त गवाहन जमानती वारंट 1000/- से तलब किये जावे। वारंट पर लाल स्याही से 'पत्रावली लक्षित प्रकरण एवं 10 वर्ष से अधिक पुराना प्रकरण' होने का नोट अंकित किया जावे।

मोपिन
जारी
28/7/26

online
19.20.21.22
न.स.व
ल.स.
28/7/26

गवाहान सं. 19, 20, 21, 22
की तामील बाद / अदम
नहीं लौटी है। इस संबंध में
संबंधित थानाधिकारी से स्पष्टिकरण
तलब किया जावे। उक्त गवाहान का वारंट
पूर्वआदेशानुसार पुनः दिनांक 03.08.2026 के लिए जारी हो।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्र.स.१
नीमकाथाना सीकर (राज्य)

दिनांक 5/8/26 से लेकर चंद्र दी

दिनांक 5/8/26 से लेकर चंद्र दी
 21/11/26 तक 23, 24, 25 को
 29/7/26 को वसंत पंचमी
 21/11/26 को
 29/7/26 को

अतिरिक्त मध्य न्यायिक न्यायाधीश (अतिरिक्त)